

विचार बिन्दु

झूठ की सजा यह नहीं कि उसका विश्वास नहीं किया जाता बल्कि वह किसी का विश्वास नहीं कर सकता। -शेक्सपियर

गिरफ्तारी बनाम जमानत (Arrest Versus Bail)

व हुग समाद हो चुका है जब 'दोत के बदले दोत' अथवा 'आंख के बदले आंख' न्याय का तरीका था भारत ने जब अपना संविधान बनाया, उस समय ऐसा Universal Declaration of Human Rights (UDHR) से अच्छी तरह परिचित था। देश के लोग समझते थे कि मानव अधिकारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है सिविल व राजनीतिक अधिकार तथा द्वितीय है आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार। देश के लोगों ने संकल्प लिया कि सभी को न्याय मिलेगा, सामाजिक अर्थिक और राजनीतिक। सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय द्वारा हमारे मूल अधिकार (Fundamental Rights) हमारे संविधान के अधिन आंख हैं और इनमें ही निहित हैं, मानव अधिकार। अतः हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मानव अधिकार हमारे मूल अधिकार हैं और वे कोट में प्रतीत हैं। संविधान के चेटर III में मूल अधिकार हैं जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं और चेटर IV में हमारे सामाजिक व आर्थिक अधिकार हैं। सन् 1966 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव की गिराव को ऊँचा धरतल मिला और दो संघीयों को जन्म हुआ। International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 व International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966 भारतीय संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 को जिनमें समावित Right to Life Je Liberty को बहुत महत्वकारी ऊँचाई तक पहुँचाया है।

फौजदारी कानून के निम्नलिखित मायने सिद्धान्त हैं जिनको पालन करना न्याय के लिये आवश्यक है। ये मान्य सिद्धान्त हमें संविधान के अधिन तथा ICCPR, 1966, Criminal Procedure Code, 1973 में देखने को मिलते हैं:

1) जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का चार्ज है वह उस समय तक निर्देश माना जावेगा, जब तक कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही में वह दोषी नहीं पाया जाता। (ICCPR. Deveg UUo 14(2))

2) प्रत्येक व्यक्ति को Right to Liberty and Security of Person प्राप्त है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसे गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारण व विवरण दिये जावेंगे। उसे यह भी बताया जायेगा कि उसके विरुद्ध आरोप क्या है? उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी का अधिकार ही होगा। (ICCPR के अनुच्छेद 9(2)(3)(4)(5))

3) फौजदार व स्पीडी ट्रायल व्यक्ति का मूल अधिकार है।

4) प्रांस्क्रूप्यन का सावित करना होगा कि आरोपी दोषी है, अतः एवं शक का लाभ उपरे प्राप्त होगा।

5) कई दोस्रों में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जमानत का अधिकार नहीं है। आरोपी जेल में रहेगा, जब तक ट्रायल पूरी नहीं होगी। भारत में दो प्रकार के फौजदारी के हैं। जमानती व गैर जमानती (Bailable or Nonbailable) देश में Antecedent Bail (Ojee 437 Cr.P.C.) का भी प्रावधान है। जमानत देना न देना कोर्ट के विवेक पर निर्भर रहता है। डिलीन शराब नीति/PMLA के मानवान्ती के जरूरी वाले को आम आदमी पार्टी के नेताओं दी है। PMLA की धारा 45 के होते हुए भी, जमानत के मूल संदेश को पालना में जमानत दी है और 'BAII' - 'NO JAIL' के सिद्धान्त को धारा 45 में In Bail। मानकर जमानत ली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायकटोरेट एपोस्टमेंट बानाम दिलीप कुमार थोष, अधिकारी वर्ननी, वी स्टेलियल बालाजी के केस में जमानत दी है। कोर्ट ने करार दिया कि गिरफ्तारी कोई गई है, इसके विवरण नहीं दिये और स्वयं आरोपी को भी व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तारी के कारण जानी याचिनी नहीं बताया अतः गिरफ्तारी ही अवधि है। केजरीवाल व उत्तर साधियों, मरीना सुरियों, संजय सिंह जी की माननीय सुप्रीम कोर्ट के जमानत के बाद इस आधार पर ली है कि परिस्थितियों को देखते हुए केस के शीघ्र निर्णय की दूर-दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती अतः Bail दी गई।

UDHR के बाद से जो भी अन्तर्राष्ट्रीय संधियों देशों के बीच में हुई, उनका प्रावधान कार्य या मानव की गतिशीलता की जीवन की रक्षा करना अतः यह आवश्यक माना गया कि हस्ताक्षरकर्ता देश अपने अपेक्षाकारों में तर्फात् विवरण करते हैं। आजादी के बाद देश ने अपना संविधान द्वारा कानून प्रावधान कर्ता की गतिशीलता की व्याख्या दिया गया। सबसे बड़ा न्यायकर्ता संघर्षच्च न्यायालय है। डोके बुझ बाल के बास में धारा 41 से धारा 60 तक इस विवरण पर प्रक्रियाओं का वर्णन है इन्हें संविधान में स्थान देकर मूल अधिकारों का भाग बना दिया गया। सबसे बड़ा न्यायकर्ता संघर्षच्च न्यायालय है। इनकी पालना करना आवश्यक है विस्तृत निर्देश (पेट 36 में 11 निर्देश) है। इनकी पालना करना आवश्यक है।

केजरीवाल व उत्तर साधियों को गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई है। मनीष सिसोदिया व केजरीवाल तथा उनके साधियों को जमानत मिल चुकी है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है।

Detention को चेक करने के हेतु पराप्रधान विवरण दिया गया। गिरफ्तारी के आधार पर और उसके विरुद्ध किस अपाराध का चार्ज है। ये बातें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि गिरफ्तारी के आधार विवरण दिया गया। Indian Criminal Procedure Code, 1973 में धारा 41 से धारा 60 तक इस विवरण पर प्रक्रियाओं का वर्णन है इन्हें संविधान में स्थान देकर मूल अधिकारों का भाग बना दिया गया। सबसे बड़ा न्यायकर्ता संघर्षच्च न्यायालय है। इनकी पालना करना आवश्यक है विस्तृत निर्देश (पेट 36 में 11 निर्देश) है। इनकी पालना करना आवश्यक है।

केजरीवाल व उत्तर साधियों के विरुद्ध कुमार थोष, अधिकारी वर्ननी, वी स्टेलियल बालाजी के विवेक पर नि�र्भर रहते हैं। जिनको पालन करना आवश्यक है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PMLA की धारा 45 के कठोर प्रावधानों की उपराधियों में भी जमानत दी है। सिसोदिया को अन्य को जमानत इसलिये दी गई है।

दिनांक 05.09.2024 को केजरीवाल के केस में खण्डपीठ के माननीय न्यायाधीश सूर्यकान्त व न्यायाधीश उज्ज्वल झुइया ने जमानत पर बहस सुनी। दिनांक 13.09.2024 को आदेश सुनाया गया। माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों न्यायाधीशोंने अपने अपेक्षा अन्यान्त आदेश लिये हैं।

माननीय दोनों